(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2687–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–7–2016 पारित द्वारा कलेक्टर जिला मुरैना म0प्र0 प्रकरण कमांक 49/2015–16/अपील.

1. मु. राजाबेटी बेवा दशरथ सिंह
2. आशा
3. राजा
4. कुन्ती
5. किसुना पुत्रियान दशरथ सिंह
   निवासीगण ग्राम पर्वतपुरा मौजा
   बर्रेड, तहसील जौरा जिला मुरैना

——— आवेदकगण

विरूद्ध

रामेश्वर पुत्र बदन सिंह
निवासी ग्राम पर्वतपुरा मौजा बर्रेड
तहसील जौरा जिला मुरैना म0प्र0

——— अनावेदक

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक आवेदकगण
श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 01/08/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत कलेक्टर जिला मुरैना के आदेश दिनांक 30–7–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जौरा के समक्ष वास स्थान दखलकार अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बर्रेड़ तहसील जौरा जिला मुरैना स्थित भूमि सर्वे

कमांक 1605 रकबा 0.16 आरे में से 1/2 तथा सर्वे कमांक 1606 रकबा 0.17आरे में से 1/2 पर कई वर्षों से कब्जा है एवं झोंपडी बनाकर रहने से उक्त भूमि पर भूमिस्वामी के अधिकार प्रदान किये जाये। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 84/13–14/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 19–10–2016 के द्वारा अनावेदक का आवेदन निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 49/2015–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 30–7–2016 के द्वारा अनावेदक की अपील स्वीकार की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया। कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख में संलग्न राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि पर अनावेदक के 40–45 वर्षों से दो कूप बने होने एवं ईंट रखे होने का उल्लेख है। अनावेदक द्वारा इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वास स्थान दखलकार अधिनियम 1980 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने राजस्व निरीक्षक एवं स्थल पंचनामा पर बिना आदेश पारित किया है। इसी कारण अनावेदक द्वारा कलेक्टर मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी के त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त किया है। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। कलेक्टर मुरैना का आदेश दिनांक 30–7–2016 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर